



शिक्षित बनें।

संगठित रहें।

संघर्ष करें।

**ऑल इण्डिया रूरल एजुकेशनल फेडरेशन (ऐरिफ ट्रस्ट)**

कार्यालय-करमहां डींगुरपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, 276137

Phone &amp; Whatsapp : 9450020206, 9450203002

Website : www.aireftrust.com

Email ID : info@aireftrust.com

**दान/अनुदान प्रपत्र**

प्रपत्र संख्या .....

रसीद संख्या .....

सदस्य का नाम: श्री/श्रीमती.....पिता/पति का नाम श्री.....

पूरा पता .....

सदस्यता की श्रेणी:- (संबंधित पर सही का निशान लगायें।)

(अ) परिरक्षक सदस्य- दान राशि 1,01,000.00/-या इससे अधिक  (ब) संरक्षक सदस्य- दान राशि 51,000.00/- या इससे अधिक (स) सजीवक सदस्य- दान राशि 25,500.00/-या इससे अधिक  (द) संयोजक सदस्य- दान राशि 10,100.00/- या इससे अधिक (इ) सहायक सदस्य- दान राशि 5,100.00/-या इससे अधिक  (फ) विशिष्ट सदस्य- दान राशि 2,100.00/- या इससे अधिक (ग) साधारण सदस्य- दान राशि 1,100.00/-या इससे अधिक  (ह) कार्यकर्ता सदस्य- दान राशि 551.00/- या इससे अधिक 

दान का विवरण (संबंधित पर सही का निशान लगायें।)

UPI  NEFT  RTGS  CHEQUE  DD  CASH 

राशि ..... डीडी/चेक/ट्रांजैक्शन नम्बर..... दिनांक .....

जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम .....

देय बैंक व शाखा का नाम .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
मो-.....आवेदक के हस्ताक्षर  
मो-.....

नोट: दान एवं सहयोग कैसे करें।

- ऑल इण्डिया रूरल एजुकेशनल फेडरेशन (ट्रस्ट) में सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की स्थानीय शाखा में पहुंचकर ट्रस्ट के खाता **All India Rural Educational Federation, A/C No. 494801010031493, IFSC- UBIN0549487**, में अपना धन जमा कर सकते हैं। पे इन स्लीप अपने सदस्यता फार्म के साथ लगा कर ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय में आकर, ईमेल करके या डाक द्वारा प्रेषित कर जमा करा सकते हैं।
- यूपीआई के माध्यम से भी अपना दान/अनुदान ट्रस्ट के **UPI ID- 6394449629@UPI** पर जमा कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट अपने आवेदन पत्र के साथ ट्रस्ट के **Email ID- info@aireftrust.com** पर या डाक द्वारा प्रेषित कर जमा करा सकते हैं।
- नगद राशि ट्रस्ट के कार्यालय पर ही स्वीकार की जाएगी, नगद राशि जमा करने पर कार्यालय से रसीद प्राप्त कर लें।
- नगद राशि किसी भी व्यक्ति के हाथ ना दें। (कार्यालय से बाहर नगद राशि आप किसी व्यक्ति के हाथ में देते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।)
- दान/अनुदान की गयी धनराशि की किसी भी स्थिती में वापसी नहीं होगी।

ऑल इण्डिया रूरल एजुकेशनल फेडरेशन (ट्रस्ट) के सदस्यों हेतु।

- सदस्यता केवल व्यक्तिगत एक नाम से प्रदान की जाएगी जो सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी द्वारा सदस्यता स्थानांतरण हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन करने पर ट्रस्ट अपने नियमानुसार कोई निर्णय ले सकेगा।
- ट्रस्ट में दान देकर सदस्यता ग्रहण करने वाले एवं स्वैक्षा से दान देने वाले दानवीर ऐरिफ के सदस्य होंगे।
- ट्रस्ट की अ व ब श्रेणी की सदस्यता संस्थायें भी प्राप्त कर सकती हैं।
- संस्थाओं (फर्म) को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो बार या 15 वर्ष के अंतराल पर संस्था ट्रस्ट से अनुमति प्राप्त कर अपने प्रतिनिधि में बदलाव कर सकती है।
- संस्था के प्रतिनिधि को चुनाव में मतदान का अधिकार होगा, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा।

ऑल इण्डिया रूरल एजुकेशनल फेडरेशन ट्रस्ट के सदस्यों हेतु प्रतिज्ञाएं।

(1) ट्रस्ट के संविधान के प्रति समर्पित होना। (2) ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने/कराने का अथक प्रयास करना। (3) समाज हित में प्रतिदिन एक या दो घण्टे का समय निकालना। (4) ट्रस्ट के सभाओं में बुलाये जाने पर ससमय पहुंचना, आवश्यकता पड़ने पर निष्पक्ष मतदान करना। (5) ट्रस्ट के सदस्यों पर किसी भी प्रकार की आपदा आने पर स्वैच्छा से उसकी मदद करना।

दिनांक..... / ..... / 202.....

आवेदक के हस्ताक्षर